

प्रेषक,

आशीष तिवारी
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ०प्र० लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 26 सितम्बर, 2018


विषय :- जनपद मिर्जापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-07 (वाराणसी-हनुमना सेक्शन) किमी० सं०-49.500 से किमी० सं०-140.200 तक के सुदृढीकरण व चौड़ीकरण से प्रभावित 17.3875 हे० आरक्षित वनभूमि एवं 113.63 हे० संरक्षित वनभूमि अर्थात् कुल 131.0175 हे० वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 10473 वृक्षों/पौधों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/66/2018/एफसी/327 दिनांक 07.08.2018 तथा पत्र संख्या-8बी/यूपी/06/66/2018/एफसी/220 दिनांक 21.08.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गई कतिपय आपत्तियों का निराकरण संशोधित सूचनाएं/अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्कम में मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं०-621/11-सी-एफपी/यूपी/रोड/30569/2017 दिनांक 19.09.2018 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं/अभिलेख 02 प्रतियों में शासन को उपलब्ध करायी गई है। 2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के पत्र दिनांक 19.09.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं/अभिलेख की एक प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,



(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-3180(1)/14-2-2018-तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।